संख्या-4/2020/4963/सैंतीस-2-2019-20(59)/08

प्रेषक,

बी. एल. मीणा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(अंकित विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-20 जनवरी, 2020

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में पशु सेवा केन्द्र/'द' श्रेणी पशु औषधालय (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-441/सा0-1/एक्स-120(188)/07-निर्माण/2017-18, दिनांक-23.12.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-07-पशु सेवा केन्द्र/'द' श्रेणी पशु औषधालय (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित 16 पशु सेवा केन्द्रों के निर्माण हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में कुल रू0-86.08 लाख (रूपये छियासी लाख आठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0	पशु सेवा केन्द्र का नाम	जनपद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	रूपापुर	वाराणसी	5.38
2	ठठरा	वाराणसी	5.38
3	जाल्हूपुर	वाराणसी	5.38
4	जन्सा	वाराणसी	5.38
5	नियेसीपुर	वाराणसी	5.38
6	बल्लापुर	औरैया	5.38
7	ककोर	औरैया	5.38
8	न्योरी	अम्बेडकर नगर	5.38
9	धमनीखेड़ा	उन्नाव	5.38
10	हरैया	गोरखपुर	5.38
11	लाखनखुर्द	गोरखपुर	5.38
12	लुहसी	गोरखपुर	5.38
13	सदुआकोल	गोरखपुर	5.38
14	कनैचा	गोरखपुर	5.38
15	रामपुर डाड़ी	गोरखपुर	5.38
16	करमा	इलाहाबाद	5.38
योग-			**86.08**

(रूपये छियासी लाख आठ हजार मात्र)

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय योजना के दिशा-निर्देशों व निर्माण संबंधी कार्यों हेतु समय-समय पर संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
4. कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिये जाने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा। निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग वित्तीय एवं निर्माण संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
6. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/यथावश्यकता जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
7. आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।
8. प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसे सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-07-पशु सेवा केन्द्र/'द' श्रेणी पशु औषधालय (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-31/दस-2020, दिनांक-14.01.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी. एल. मीणा)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-4/2020/4963(1)/सैंतीस-2-2019- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (रो.नि.), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), गोमती नगर, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in